न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 23.5.2023 को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:20:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
585 / 2022	30-11-2022	23/05/2023

उनवान

01. रतिराम पुत्र जगराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील टपूकडा जिला अलवर

———:: वादी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार टपूकडा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरार हक मय दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई वामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि हाल ाराजी खसरा नम्बर 151/495 रकबा 0.06 है0, 151/496 रकबा 0.06 है0, 157 रकबा 0.15 है0, 158 रकबा 0.15 0 किता 4 रकबा 0.42 है0 का 3/20 हिस्सा वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर में स्थित है। ास्ते मुलाहिजा फैसला दिनांक 29.05.2019 नामान्तकरण संख्या 871 जमाबन्दी व बयनामा दिनांक 10.03.2022 संलग्न वाद पत्र है। विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 151/495 रकबा 0.06 है0, 151/496 रकबा 0.06 है0, 157 रकबा 0.15 है0, 158 रकबा 0.15 है0 किता 4 रकबा 0.42 है0 का 3/20 हिस्सा व अन्य आराजी वाके ग्राम आलमपुर की बाबत एक वाद संख्या 118/2017 बअनुवान सांवत आदि बनाम श्रीमान सचिव महोदय, यू.आई.टी. भिवाडी व राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार द्वारा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज का माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहां दायर किया। जिसमें माननीय न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी तिजारा द्वारा उपरोक्त सांवत आदि (जो इस प्रकरण के वादीगण) के पक्ष में दिनांक 29.05.2019 को निर्णय व पर्चा डिक्री पारित कर उपरोक्त सांवत आदि (जो इस प्रकरण के वादीगण) को आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया। जिस आदेश व डिक्री के अनुसार राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने उपरोक्त सांवत आदि के नाम के बाद सहवन से हाल जमाबन्दी व नामान्तकरण संख्या 871 में संस्था के लिए का अगल दरामद कर दिया। सांवत आदि व मिन वादी को का[illegible] नहीं है, जिस कारण उपरोक्त सांवत आदि को नहीं हुई और ना ही मिन वादी को इस बात की [illegible] हो सकी। उपरोक्त खातेदारान कर्मवीर, रणजीत, सुखवीर पुत्रान श्री जयसिंह, श्रीमती सांवत पत्नी श्री ज[illegible] जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा, श्रीमती सरिता पुत्री श्री ज[illegible] निवासी ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा, हाल निवासी लाखूवास जिला गुरूग्राम, श्रीमती मनोज [illegible] श्री जयसिंह पत्नी श्री लगीपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा हाल निवासी चौपाल के पास ग्वाल पहाडी गुरूग्राम, श्रीमती मुकेश पुत्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:20:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

सिंह पत्नी ईमरत जाति गुर्जर निवासी ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा हाल निवासी चौपाल के पास ग्वाल
डी गुरूग्राम से मिन वादी ने उक्त विवादित आराजी जरिये रजि. बयनामा दिनांक 10.03.2022 को बाकब्जा,
तिफल रकम अदा कर खरीद किया है। जिसका बयनामा उपपंजीयक कार्यालय भिवाडी के यहां पुस्तक संख्या
जिल्द संख्या 651 में पृष्ठ संख्या 187 कम संख्या 202203111101528 पर पंजीबद्व कराया गया है। मिन वादी
राजी के सदभावी केता है। वादी जो कि उक्त विवादित आराजी पर वक्त खरीद से ही काबिज व दाखिल चला
रहा है व मौके पर मिन वादी का खरीदशुदा आराजी पर वास्तविक कब्जा है। मिन वादी ने बयनामा की प्रति
ल्का पटवारी को देकर बयनामा अनुसार इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया तो हल्का पटवारी ने इंतकाल दर्ज
रने का आश्वासन दिया। मिन वादी हल्का पटवारी के आश्वासन पर रहा। जब हल्का पटवारी ने बयनामा के
नुसार मिन वादी के नाम का इंतकाल दर्ज व मंजूर नहीं किया जो मिन वादी ने दिनांक 28.10.2022 को प्रतिवादी
हसीलदार टपूकडा के पास जाकर बयनामा के अनुसार इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी
हसीलदार टपूकडा ने जमाबन्दी का अवलोकन कर बताया कि विकेतागण/डिकीदारान के नाम के बाद सा. देह
स्था के लिए जमाबन्दी में अंकन होने के कारण बयनामा के अनुसार तुम्हारे नाम इंतकाल दर्ज व मंजूर नहीं हो
कता है। यह प्रकरण दुरूस्ती का मोहताज है। इसलिए मिन वादी को यह वाद ईशतकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
य हु0ई0 दवामी पेश करना आवश्यक हुआ है। डिकी इज्रराय ईशतकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज इस अमर की
ारित की जावें कि हाल आराजी खसरा नम्बर 151/495 रकबा 0.06 है0, 151/496 रकबा 0.06 है0, 157 रकबा
.15 है0, 158 रकबा 0.15 है0 किता 4 रकबा 0.42 है0 का 3/20 हिस्सा वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकडा
जेला अलवर में स्थित है। उपरोक्त विवादित आराजी मिन वादी ने विकेतागण से जरिये रजि. बयनामा दिनांक 10.
03.2022 को कब्जा बाप्रतिफल रकम अदा कर खरीद किया है। जिसका बयनामा उपपंजीयक कार्यालय भिवाडी के
यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 651 में पृष्ठ संख्या 187, कम संख्या 202203111101528 पर पंजीबद्व कराया
गया है। मिन वादी आराजी का सदभावी केता है। विकेतागण के नाम व विकेतागण के आगे से संस्था के लिए
अंकन को हजफ किया जाकर, मिन वादी को बयनामा के अनुसार विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित
किया जावें। मिन वादी इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिकी प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जबाब दावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब में अवगत कराया गया है कि वाद पत्र में अंकित खातेदारान के साथ "संस्था के लिए" शब्द को हटवाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है मौके पर वाद पत्र में अंकित खातेदारान की भूमि का उपयोग संस्था के लिए नहीं हो रहा है। उक्त वाद में भिवाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण भिवाडी द्वारा अपने पत्रांक 1269/23 दिनांक 04.04.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 151/495 रकबा 0.06 है0, 151/496 रकबा 0.06 है0, 157 र[illegible] 0.[illegible] है0, 158 रकबा 0.15 है0 किता 4 रकबा 0.42 है0 में किस्म गै0मु0आबादी भूमि में 17/20 हिस्सा नगर विकास [illegible] से हाल बीडा भिवाडी के नाम दर्ज है। शेष भूमि 3/20 हिस्सा अर्थात 630 वर्गमीटर भूमि वादी की है व खातेदार को 630 वर्गमीटर भूमि संलग्न (खसरा नम्बर 158 के दक्षिण–पूर्वी कोने में) अनुसार दिया जाता है तो कार्यालय [illegible]वाडी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति/आक्षेप नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:20:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज.

वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत रजि. बयनामा क्रम संख्या 2203111101528 दिनांक 10.03.2022 से वादी द्वारा उक्त आराजी को क्रय किया गया है। विक्रेतागण के नाम व क्रेतागणों के नाम के आगे दर्ज ''संस्था के लिए'' का अंकन हजफ किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 151/495 रकबा 0.06 है0, 151/496 रकबा 0.06 है0, 157 रकबा 0.15 है0, 158 रकबा 0.15 है0 किता 4 रकबा 0.42 है0 का 3/20 हिस्सा वाके ग्राम सलमपुर तहसील टपूकडा जिला अलवर पर दर्ज पूर्व खातेदारान कर्मवीर पुत्र जयसिंह, मुकेश, मनोज, सरिता पुत्रीयान जयसिंह, रणजीत, सुखवीर पुत्रान जयसिंह व सांवत पत्नी जयसिंह का नाम तथा उनके नाम के आगे अंकित ''संस्था के लिए'' को हजफ कर वादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:20:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
585/2022	30-11-2022	23/05/23

उनवान

01. रतिराम पुत्र जगराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम मिलकपुर गुर्जर तहसील टपूकड़ा जिला अलवर

———:: वादी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार टपूकड़ा जिला अलवर (राजस्थान)

———:: प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक मय दुरूस्ती वो हुक्मइम्तनाई दवानी

अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिक्री ::–

हाल आराजी खसरा नम्बर 151/495 रकबा 0.06 हे0, 151/496 रकबा 0.06 हे0, 157 रकबा 0.15 हे0, 158 रकबा 0.15 हे0 किता 4 रकबा 0.42 हे0 का 3/20 हिस्सा वाके ग्राम आलमपुर तहसील टपूकड़ा जिला अलवर पर दर्ज पूर्व खातेदारान कर्मवीर पुत्र जयसिंह, मुकेश, मनोज, सरिता पुत्रीयान जयसिंह, रणजीत, सुखवीर पुत्रान जयसिंह व सांवत पत्नी जयसिंह का नाम तथा उनके नाम के आगे अंकित "संस्था के लिए" को हजफ कर वादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)
उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjeev Kumar Verma
Date: 2024.11.28 16:20:38 IST
Reason: SelfAttested